

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री अमित कुमार साहु पिता- शीतल साव, श्री पंकज कुमार पिता त्रिवेणी साव, श्री आशीष कुमार पिता बिशुन साव, श्री मंटू साव पिता लखन साव, श्री दीपक कुमार पिता राजेंद्र साव, श्री शंकर साव पिता बंशी साव, श्री प्रवीन कुमार पिता मुनेश साव, श्री रघुनाथ कुमार पिता स्व. भोला साव और श्री सतेन्द्र कुमार पिता रामकिशोर साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 24, 25, 177, 176, 142, 137 & 208, के अधीन प्लॉट सं. 811(P), 811(P), 848, 888, 1027, 887, 1052, 1232, 1236, 1332, 1643, 1645, 1897, 1900, 1901, 1905, 1925, 1926, 1954, 1955, 1051, 1956, 1970, 1979, 1980, 1985, 1986, 2002, 2003, 2005, 2058, 766, 774, 788, 807(P), 807(P), 818, 849, 874, 954, 1057, 1070, 1071, 1125, 1155, 1231, 1238, 1358, 2011, 2019, 2011, 1989, 2192, 1912, 1968, 1913/2568, 1646, 1235, 1990, 1156, 2501, 2502, 2500, 1287, 1323, 1201 & 2511, कुल रक्कबा - 18.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं:56 (रैयती) खाता सं. 24, 25, 177, 176, 142, 137 & 208, के अधीन प्लॉट सं. 811(P), 811(P), 848, 888, 1027, 887, 1052, 1232, 1236, 1332, 1643, 1645, 1897, 1900, 1901, 1905, 1925, 1926, 1954, 1955, 1051, 1956, 1970, 1979, 1980, 1985, 1986, 2002, 2003, 2005, 2058, 766, 774, 788, 807(P), 807(P), 818, 849, 874, 954, 1057, 1070, 1071, 1125, 1155, 1231, 1238, 1358, 2011, 2019, 2011, 1989, 2192, 1912, 1968, 1913/2568, 1646, 1235, 1990, 1156, 2501, 2502, 2500, 1287, 1323, 1201 & 2511, कुल रक्कबा - 18.00 एकड़ भूमि के तहत श्री अमित कुमार साहु पिता- शीतल साव, श्री पंकज कुमार पिता त्रिवेणी साव, श्री आशीष कुमार पिता बिशुन साव, श्री मंटू साव पिता लखन साव, श्री दीपक कुमार पिता राजेंद्र साव, श्री शंकर साव पिता बंशी साव, श्री प्रवीन कुमार पिता मुनेश साव, श्री रघुनाथ कुमार पिता स्व. भोला साव और श्री सतेन्द्र कुमार पिता रामकिशोर साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर, कोई भी आपत्ति नहीं है।

6/2/2020
12/07/2020